भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 84**
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 01 दिसंबर, 2025
10 अग्रहायण, 1947 (शक)

**राष्ट्रीय महत्व के स्मारक**

**84. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:**
**श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:**

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में मान्यता प्राप्त स्मारकों की सूची का राज्य-वार विशेषकर आन्ध्र प्रदेश का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने स्मारकों की सूची को युक्तियुक्त बनाने पर विचार किया है, यदि हां, तो स्मारकों की उस सूची का राज्यवार विशेषकर आन्ध्र प्रदेश का ब्यौरा क्या है जिसमें जोड़े जाने वाले, हटाए जाने वाले और फिलहाल हटाए गए स्मारकों के नाम सम्मिलित है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रख-रखाव और पुनरूद्धार के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार विशेषकर आन्ध्र प्रदेश का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रख-रखाव और पुनरूद्धार के लिए निजी कंपनियों को अनुमति देने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ड.) क्या सरकार ने राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

**उत्तर**
**संस्कृति और पर्यटन मंत्री**
**(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 3685 प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के पुरावशेषों की देखभाल की जाती है, जिनमें से 135 आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं। इनका विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): प्राचीन स्मारकों अथवा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया जाना प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार की जाने वाली एक सतत् प्रक्रिया है। इन स्मारकों और स्थलों की सूची से विगत तीन वर्षों के दौरान जोड़े गए और हटाए गए स्मारकों के साथ-साथ पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग): विगत पाँच वर्षों के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य सहित संपूर्ण देश में संरक्षित स्मारकों और स्थलों के संरक्षण, परिरक्षण और पर्यावरणीय विकास के लिए किए गए आवंटन और व्यय का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(घ): एडॉप्ट-ए-हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम, विशेष रूप से संरक्षित स्मारकों के लिए निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और गैर सरकारी संगठनों/न्यासों /समितियों आदि के साथ मिलकर एक रूपरेखा बनाने के लिए सितंबर, 2023 में शुरू किया गया था ताकि पर्यटकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए संरक्षित स्मारकों पर सुविधाएं विकसित/प्रदान की जा सकें। इस योजना के अंतर्गत शामिल स्मारकों और निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का विवरण **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

(ङ.): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्कूल और कॉलेज के छात्रों और आम जनता आदि को शामिल करते हुए प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से विश्व धरोहर दिवस, विश्व धरोहर सप्ताह, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती आदि जैसे विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।

देश में विश्व धरोहर संपत्तियों सहित विभिन्न संरक्षित स्मारकों और स्थलों पर आवश्यकता और संभावना के अनुसार पर्यटक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, इन स्मारकों में पेय-जल, शौचालय और बेंच, सुगम-पथ, व्हील चेयर, रैंप, संकेतक, ब्रेल संकेतक आदि जैसी सुविधाएं पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने और इन्हें पर्यटक अनुकूल बनाने के लिए प्रदान किए जाते हैं। इन स्मारकों में ऐसी सुविधाएं प्रदान किया जाना और इनका उन्नयन करना एक सतत् प्रक्रिया है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 01.12.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 84 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध

आंध्र प्रदेश सहित देश में राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों की राज्य-वार संख्या

| क्रम सं. | राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम / | स्मारकों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 135 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 03 |
| 3. | असम | 55 |
| 4. | बिहार | 70 |
| 5. | छत्तीसगढ | 46 |
| 6. | दमन और दीव )संघ राज्य क्षेत्र( | 11 |
| 7. | गोवा | 21 |
| 8. | गुजरात | 205 |
| 9. | हरियाणा | 91 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 40 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर संघ) राज्य क्षेत्र( | 56 |
| 12. | झारखंड | 14 |
| 13. | कर्नाटक | 506 |
| 14. | केरल | 29 |
| 15. | लद्दाख संघ) राज्य क्षेत्र( | 15 |
| 16. | मध्य प्रदेश | 290 |
| 17. | महाराष्ट्र | 286 |
| 18. | मणिपुर | 01 |
| 19. | मेघालय | 08 |
| 20. | मिजोरम | 02 |
| 21. | नगालैंड | 04 |
| 22. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 170 |
| 23. | ओडिशा | 82 |
| 24. | पुडुचेरी संघ) राज्य क्षेत्र( | 07 |
| 25. | पंजाब | 33 |
| 26. | राजस्थान | 161 |
| 27. | सिक्किम | 03 |

| | | |
|---|---|---|
| 28. | तेलंगाना | 08 |
| 29. | तमिलनाडु | 412 |
| 30. | त्रिपुरा | 08 |
| 31. | उत्तर प्रदेश | 735 |
| 32. | उत्तराखंड | 43 |
| 33. | पश्चिम बंगाल | 135 |
| | कुल | **3685** |

अनुबंध -II

लोक सभा में दिनांक 01.12.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 84 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित अनुबंध

(क) सूची में जोड़े गए प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का विवरण

| क्रम सं. | स्मारक अथवा स्थल का नाम और स्थान | ज़िला | राज्य | वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| 1. | प्राचीन नौला,<br>स्यूनराकोट | अल्मोड़ा | उत्तराखंड | 2023 |
| 2. | कपिलेश्वर मंदिर,<br>कपिलेश्वर | भुवनेश्वर | ओडिशा | 2023 |
| 3. | प्राचीन टीला संख्या VI,<br>राखीगढ़ी | हिसार | हरियाणा | 2024 |
| 4. | प्राचीन टीला संख्या VII,<br>राखीगढ़ी | हिसार | हरियाणा | 2024 |
| 5. | शिव मंदिर (महादेव मंदिर (स्वप्नेश्वर), पुंजियामा | खोरधा | ओडिशा | 2025 |
| 6. | पुताई किए हुए शैल आश्रयइस्को , | हजारीबाग | झारखंड | 2025 |
| 7. | नक्कार खाना | लखनऊ | उत्तर प्रदेश | 2025 |
| 8. | मेनहिर | चम्फाई | मिजोरम | 2025 |

(ख) सूची से हटाए गए प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों और अवशेषों का विवरण

| क्रम संख्या | स्मारक का नाम | ज़िला | राज्य | वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| 1. | निकोलसन की मूर्ति और उसका प्लेटफॉर्म ,पास के बगीचे-और आस , रास्ते और घेरे की दीवार | दिल्ली | दिल्ली )राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र( | 2024 |
| 2. | कोस मीनार संख्या 13 | गुरुग्राम<br>( गुडगाँव ) | हरियाणा | 2025 |
| 3. | कोस मीनार | करनाल | हरियाणा | 2025 |
| 4. | बछौन के किले में शिलालेख | सतना | मध्य प्रदेश | 2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. | बारा खंबा कब्रिस्तान | दिल्ली | दिल्ली | 2025 |
| 6. | इंचला वाली गुमटी | दिल्ली | दिल्ली | 2025 |
| 7. | मंदिर )12वीं शताब्दी( | कोटा | राजस्थान | 2025 |
| 8. | किले में शिलालेख | जयपुर | राजस्थान | 2025 |
| 9. | कुटुम्बरी क्षेत्र की $\frac{13}{16}$नालियाँ | अल्मोड़ा | उत्तराखंड | 2025 |
| 10. | बहुत पुराने बरगद के पेड़ों का झुंड जिसमें पुरानी इमारतों के निशान हैं | गाजीपुर | उत्तर प्रदेश | 2025 |
| 11 | बंद कब्रिस्तानकटरा नाका , | बाँदा | उत्तर प्रदेश | 2025 |
| 12. | रंगून में गनर बर्किल का मकबरा | झांसी | उत्तर प्रदेश | 2025 |
| 13 | कब्रिस्तान | लखनऊ | उत्तर प्रदेश | 2025 |
| 14 | कब्रिस्तान | लखनऊ | उत्तर प्रदेश | 2025 |
| 15. | मकबरों | लखनऊ | उत्तर प्रदेश | 2025 |
| 16 | गांव के उत्तर में लगभग 1000एडी के छोटे लिंग मंदिरों के अवशेष 3 | मिर्जापुर | उत्तर प्रदेश | 2025 |
| 17 | तेलिया नाला बौद्ध खंडहरसुनसान , गांव का हिस्सा है | वाराणसी (बनारस) | उत्तर प्रदेश | 2025 |
| 18. | कोषगार भवन पर पट्टिका | वाराणसी (बनारस) | उत्तर प्रदेश | 2025 |

अनुबंध -III

लोक सभा में दिनांक 01.12.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 84 के उत्तर के भाग (ग) में संदर्भित विवरण

पिछले पाँच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश सहित देश में संरक्षित स्मारकों और स्थलों के संरक्षण ,परिरक्षण औ , ,पर्यावर विकास के लिए आवंटन और व्यय का विवरण

(करोड़ रुपए में)

| क्रम. सं. | राज्यकेंद्र शासित / प्रदेश का नाम | मंडलशाखा / | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | | 2024-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय |
| 1. | उत्तर प्रदेश | आगरा | 13.00 | 12.96 | 19.35 | 19.35 | 21.27 | 21.15 | 23.52 | 23.52 | 9.50 | 9.48 |
| | | झांसी | 1.00 | 1.00 | 4.15 | 4.15 | 7.00 | 7.00 | 5.82 | 5.82 | 4.30 | 4.30 |
| | | लखनऊ | 3.88 | 3.88 | 10.44 | 10.44 | 19.03 | 19.03 | 16.93 | 16.93 | 5.51 | 5.51 |
| | | सारनाथ | 4.38 | 4.38 | 5.50 | 5.50 | 10.15 | 10.15 | 11.32 | 11.32 | 4.32 | 4.32 |
| | | मेरठ | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | 6.20 | 6.20 | 7.95 | 7.95 | 5.20 | 4.72 |
| 2. | महाराष्ट्र | औरंगाबाद | 3.16 | 3.16 | 8.00 | 7.99 | 18.70 | 18.70 | 26.80 | 26.80 | 5.20 | 5.16 |
| | | मुंबई | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 15.35 | 15.35 | 15.56 | 15.56 | 12.58 | 12.56 |
| | | नागपुर | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.99 | 10.18 | 10.18 | 6.80 | 6.80 |
| 3. | कर्नाटक | बैंगलोर | 5.27 | 5.27 | 9.75 | 9.75 | 19.85 | 19.85 | 17.34 | 17.34 | 5.05 | 5.05 |
| | | हम्पी | 9.10 | 9.10 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 12.25 | 12.25 | 3.80 | 3.71 |
| | | धारवाड़ | 6.40 | 6.40 | 7.32 | 7.32 | 10.08 | 10.08 | 9.57 | 9.57 | 5.42 | 5.42 |
| 4. | मध्य प्रदेश | भोपाल | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 14.90 | 14.90 | 17.22 | 17.22 | 7.40 | 7.40 |
| | | जबलपुर | 3.50 | 3.50 | 4.75 | 4.75 | 8.00 | 8.00 | 9.27 | 9.27 | 4.50 | 4.49 |
| 5. | ओडिशा | भुवनेश्वर | 3.63 | 3.63 | 8.23 | 8.23 | 13.18 | 13.17 | 12.29 | 12.29 | 8.50 | 7.74 |
| 6. | पश्चिम बंगाल, | कोलकाता | 6.03 | 6.02 | 7.67 | 7.57 | 10.16 | 10.16 | 9.10 | 9.10 | 3.95 | 3.92 |
| 7. | सिक्किम | रायगंज | 1.35 | 1.35 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 3.80 | 3.80 |
| 8. | तमिलनाडु, पुडुचेरी )संघ राज्य क्षेत्र( | चेन्नई | 5.25 | 5.25 | 8.00 | 8.00 | 11.45 | 11.45 | 12.95 | 12.95 | 9.25 | 9.24 |
| | तमिलनाडु | त्रिची | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.0 | 8.50 | 8.50 | 9.55 | 9.55 | 3.40 | 3.40 |
| 9. | पंजाब | चंडीगढ़ | 0.80 | 0.80 | 1.50 | 1.50 | 6.53 | 6.53 | 11.00 | 11.00 | 5.65 | 5.65 |
| | हरियाणा | | | | | | | | | | | |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1.15 | 8.90 | 8.90 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 |
| ।11 | दिल्ली (एनसीटी) | दिल्ली | 20.82 | 20.82 | 19.10 | 19.08 | 30.50 | 30.35 | 36.14 | 36.14 | 17.85 | 16.53 |
| | | दिल्ली लघु मंडल | 3.69 | 3.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | गोवा | गोवा | 3.70 | 3.70 | 7.00 | 7.00 | 10.45 | 10.45 | 9.90 | 9.90 | 6.00 | 6.00 |
| 13. | असम | गुवाहाटी | 3.04 | 3.04 | 3.30 | 3.30 | 7.44 | 7.44 | 8.78 | 8.78 | 3.20 | 3.19 |
| | मेघालय | | | | | | | | | | | |
| | नगालैंड | | | | | | | | | | | |
| | अरूणाचल प्रदेश | | | | | | | | | | | |
| 14. | मणिपुर | आइजोल | 1.31 | 1.31 | 1.25 | 1.25 | 2.00 | 2.00 | 1.29 | 1.29 | 1.00 | 0.99 |
| | मिजोरम | | | | | | | | | | | |
| | त्रिपुरा | | | | | | | | | | | |
| 15. | राजस्थान | जयपुर | 7.40 | 7.40 | 7.53 | 7.53 | 10.28 | 10.28 | 12.75 | 12.75 | 7.20 | 7.15 |
| | | जोधपुर | 4.10 | 4.10 | 4.50 | 4.50 | 7.65 | 7.65 | 10.65 | 10.65 | 6.75 | 6.75 |
| 16. | तेलंगाना | हैदराबाद | **2.80** | **2.80** | **7.00** | 6.80 | 15.50 | 15.50 | 14.38 | 14.38 | 4.80 | 4.77 |
| 17. | आंध्र प्रदेश | अमरावती | **4.57** | **4.57** | **5.75** | 5.75 | 11.60 | 11.60 | 14.70 | 14.70 | 6.50 | 6.50 |
| 18. | बिहार | पटना | 1.23 | 1.23 | 3.35 | 3.35 | 9.00 | 9.00 | 16.00 | 16.00 | 5.33 | 5.33 |
| 19. | जम्मू और | श्रीनगर | 0.80 | 0.80 | 2.55 | 2.55 | 6.11 | 6.03 | 7.17 | 7.17 | 3.65 | 3.64 |
| 20. | लद्दाख)संघ राज्य क्षेत्र( | लेह लघु मंडल | 0.20 | 0.20 | 0.43 | 0.43 | 1.92 | 1.92 | 3.50 | 3.50 | 1.50 | 1.50 |
| 21. | केरल | त्रिशूर | 2.03 | 2.03 | 6.82 | 6.82 | 7.50 | 7.50 | 7.09 | 7.09 | 4.22 | 4.22 |
| 22. | गुजरात दमन और दीव )संघ राज्य क्षेत्र( | वडोदरा | 6.35 | 6.35 | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 4.50 | 4.50 |
| | गुजरात | राजकोट | 0.99 | 0.99 | 2.50 | 2.50 | 3.09 | 3.09 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 |
| 23. | उत्तराखंड | देहरादून | 4.60 | 4.60 | 3.75 | 3.75 | 4.85 | 4.85 | 5.42 | 5.42 | 3.60 | 3.60 |
| 24. | छत्तीसगढ | रायपुर | 2.89 | 2.89 | 4.78 | 4.78 | 7.50 | 7.50 | 5.94 | 5.94 | 5.13 | 5.13 |
| 25. | झारखंड | रांची | 0.88 | 0.88 | 1.18 | 1.16 | 2.00 | 2.00 | 2.15 | 2.15 | 1.25 | 1.25 |

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 01.12.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 84 के उत्तर के भाग (घ) में संदर्भित अनुबंध

देश में राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों के लिए खास तौर पर 'एडॉप्ट-ए-हेरिटेज 2.0' प्रोग्राम अपनाने की जानकारी।

| क्रम सं. | स्मारक का नाम | इकाई | राज्य |
|---|---|---|---|
| 1. | आगरा किला(उत्तर प्रदेश) आगरा , | ईज़ माई ट्रिप फ़ाउंडेशन | उत्तर प्रदेश |
| 2. | महरौली पुरातत्व पार्कदिल्ली , | सभ्यता फाउंडेशन | दिल्ली |
| 3. | सफदरजंग मकबरादिल्ली , | सभ्यता फाउंडेशन | दिल्ली |
| 4. | पश्चिमी मंदिर समूहखजुराहो , | ईज़ माई ट्रिप फ़ाउंडेशन | मध्य प्रदेश |
| 5. | कैलाशनाथ मंदिर(तमिलनाडु) कांचीपुरम , | चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड )सीआईएफएसीएल( | तमिलनाडु |
| 6. | सूर्य मंदिर( ओडिशा ) पुरी ,कोणार्क , | ईज़ माई ट्रिप फ़ाउंडेशन | ओडिशा |
| 7. | एलीफेंटा गुफाएँ(महाराष्ट्र) रायगढ़ , | महेश एंटरप्राइजेज एंड इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | महाराष्ट्र |
| 8. | ऊपरी किला अगुआडा गोवा , | दृष्टि लाइफसेविंग प्राइवेट लिमिटेड | गोवा |
| 9. | पुराना किला दिल्ली , | सभ्यता फाउंडेशन | दिल्ली |
| 10. | कुतुब मीनार दिल्ली , | ईज़ माई ट्रिप फ़ाउंडेशन | दिल्ली |
| 11. | हुमायूँ का मकबरादिल्ली , | सभ्यता फाउंडेशन | दिल्ली |
| 12. | जंतर मंतर | पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड | दिल्ली |
| 13. | स्मारकों का समूहहौज़ खास , | टाटा पावर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड | दिल्ली |
| 14. | उग्रसेन की बावली | ज़ी आकाश | दिल्ली |
| 15. | दिल्ली गेट | रेडटेप लिमिटेड | दिल्ली |
| 16. | कश्मीरी गेट और मोरी गेट | रेडटेप लिमिटेड | दिल्ली |
| 17. | भीमबेटका के शैलाश्रय | एचईजी लिमिटेड | मध्य प्रदेश |
| 18. | अजमेरी गेट | रेडटेप लिमिटेड | दिल्ली |
| 19. | मदरसा महमूद गवान | शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस | कर्नाटक |
| 20. | कमलापुर संग्रहालय | जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन | कर्नाटक |
| 21. | खान मकबरा खाना का -ए- | इंटरग्लोब एविएशन प्राइवेट लिमिटेड (इंडिगो) | दिल्ली |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22. | नजफ़ खान का मकबरा | सवास्दी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | दिल्ली |
| 23. | पद्मा और रानी रणथंभौर किले के तालाब | बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड | राजस्थान |
| 24. | बावड़ी अबानेरी | बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड | राजस्थान |
| 25. | बावड़ी नीमराना | बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड | राजस्थान |
| 26. | बुद्ध कालिंजर किले में बूढ़ी-बूढ़ा तालाब | बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड | उत्तर प्रदेश |
| 27. | स्मारकों पर ऑडियो गाइड का विकास 18 | रेसबर्ड टेक्नोलॉजीज | कई राज्यों |
| 28. | लाल किला | डालमिया भारत लिमिटेड | दिल्ली |
| 29. | आगा खान पैलेस | डीसीबी बैंक | महाराष्ट्र |

*****